

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर सिंगरौली जिले में देवरा ग्राम से मझौली ब्लॉक सेक्शन (कटनी-सिंगरौली) रेल्वे लाईन के दोहरीकरण हेतु 1:575 हेक्टेयर वन भूमि उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे, सिंगरौली को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 15/04/19

स्थान: भोपाल


 (कैप्टन अनिल कुमार खरे)
 सचिव
 (वैद्यनाथेश्वर सिंह नकुमार खरे)
 सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)